माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0–191) के सहयोगी आनंद कुमार यादव पुत्र बैजनाथ यादव द्वारा अवैध धन से अर्जित लगभग 83 लाख रूपये कीमती की भू–खण्ड धारा 14 (1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क–

संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध मऊ पुलिस–प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.07.2022 को एसडीएम सदर मय राजस्व टीम व क्षेत्राधिकारी नगर मय भारी पुलिस बल के उपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट जनपद मऊ के आदेश दिनांक 27.07.2022 के क्रम में आनंद कुमार पुत्र बैजनाथ यादव निवासी सरवां थाना सरायलखंसी जनपद मऊ द्वारा अवैध धन से मौजा परदहा तहसील सदर में अपनी पत्नी मीरा देवी के नाम से अर्जित आराजी सं0 2172 मि0 रकबा 226.8 वर्गमीटर जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 83 लाख रूपये है, को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व में दिनांक 29.04.2022 को उक्त आनंद यादव की मौजा परदहा में रकबा 168 कड़ी भू–खण्ड कीमत (02 करोड़ 50 लाख) रूपये जब्त किया जा चुका है। साथ ही साथ उक्त आनंद यादव द्वारा सरकारी पोखरे पर किया गया अतिक्रमण/कब्जे (लगभग 90 लाख रूपये कीमती) को दिनांक 06.07.2021 को मुक्त कराया जा चुका है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त आनंद यादव के पिता बैजनाथ यादव द्वारा अवैध धन से अर्जित की गयी 04 करोड़ 70 लाख रूपये की सम्पत्ति को पूर्व में जब्त किया जा चुका है।